(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2705–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–7–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला धार, प्रकरण कमांक 1494/री.1/2016

....

घनश्याम पिता रतनसिंह
निवासी ग्राम मलगांव तहसील व
जिला धार

.... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....................अनावेदक

....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक– आवेदक
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::
(आज दिनांकः 13/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसील तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–07–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि धर्मेन्द्र व हेमलता द्वारा संहिता की धारा 115 व 116 व 32 के अन्तर्गत के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके नाम से ग्राम मलगांव स्थित शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 110/6 रकबा 1.077 हेक्टेयर का पट्टा वर्ष

1998–99 में दिया गया था, उक्त पटटा 10 वर्ष की अवधि के लिये दिया गया था जो कि समाप्त हो गई है और उनके द्वारा पटटे की समस्त शर्तो का पालन किया गया है अतः शासन नियमानुसार 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उन्हें भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं अतः प्रश्नाधीन भूमि पर खसरे में दर्ज अहस्तान्तरणीय प्रविष्टि को विलोपित किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कर दिनांक 15–7–11 को आदेश पारित कर उक्त प्रविष्टी विलोपित की गई । तत्पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी के पत्र कमांक 2478/री–1/2015 दिनांक 22–7–15 के तारतम्य में तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत उक्त आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से चाही गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–8–16 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई, तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा पुनर्विलोकन की कार्यवाही प्रारंभ की जाकर आवेदक को सूचना पत्र दिनांक 8–7–16 को जारी किया गया । तहसीलदार के इसी सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दी गई पुनर्विलोकन की अनुमति अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है और इसके तारतम्य में तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही पूर्णतः विधि के प्रावधानों के अनुरूप है, अतः यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अभी आवेदक को केवल सूचना पत्र जारी किया गया है और इसी सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रीमैच्योर है, कारण आवेदक को तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे इस न्यायालय में उठाये गये आधारों को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी प्रीमैच्योर होने से निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 2706–पीबीआर/2016 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर